मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक सं0 29 /कार्या0उद्यान/2018–19 दिनांक :5/10/2018

गंगानगर आवासीय योजना में वृक्षो के पातन की दिनांक 10.10.18 को होने वाली नीलामी के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की गंगानगर विस्तार योजना में विकास कार्यो में बाधक 392 नं0 वृक्षो/पेडो की नीलामी दिनांक 10.10.18 को प्रातः 11:30 बजे प्राधिकरण मीटिंग हाल में होनी निश्चित हुई है। नीलामी किये जाने वाले वृक्षो का आरक्षित मुल्य धनांक रू 12,42,000.00 का है। बोली दाता को नीलामी से पूर्व रू 3,10,500/– की धरोहर राशि के रूप में अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी के समय जमा करना होगा। जो व्यक्ति या फर्म नीलामी के इच्छुक हो वह स्थल पर जाकर वृक्षो को देखकर निर्धारित तिथि एवं समय पर आकर नीलामी में भाग ले सकते है। नियम शर्ते प्राधिकरण की बेवसाइट mdameerut.org.in पर व उद्यान अनुभाग में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

नियम व शर्तेः–

1. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी में बोली गयी धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि उसी समय तथा अवशेष धनराशि स्वीकृति उपरान्त तत्काल प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी तदोपरान्त ही वृक्षो का पातन प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर खडे वृक्षो को देखने/आंकलन की जिम्मेदारी स्वय बोलीदाता की होगी।
3. उच्चतम बोलीदाता को पेडो का पातन 15 दिन के अन्दर करके स्थल से कटे वृक्षो की जड इत्यादि निकाल कर साफ करना होगा।
4. उच्चतम बोलीदाता को वृक्षो का पातन एवं ढुलाई खर्च स्वंय वहन करना होगा।
5. किसी भी प्रकार की यदि कर देयता होगी तो बोलीदाता को स्वयं वहनकरना होगा।
6. उपाध्यक्ष, मे0वि0प्रा0 मेरठ को बिना कोई कारण बताये बोली स्वीकृति/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. नीलामी द्वारा निस्तारित वृक्षो के पातन की अनुमति सामाजिक वानिकी प्रभाग कार्यालय पत्रांक 969/22–1 दिनांक 30.08.18 के द्वारा उल्लेखित प्रतिबन्धो के आधीन प्रदान की गयी है। क्रेता को प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, मेरठ के कार्यालय से नियमानुसार ढुलान अनुज्ञा प्राप्त करनी होगी।
8. नीलामी में असफल आवेदको की जमा धनराशि रू 310500.00 नीलामी के बाद आवेदको को वापस कर दी जायेगी।
9. उक्त जानकारी हेतु श्री सोमपाल सिंह उद्यान निरीक्षक, मोबाईल नं0 9457290010 से सर्म्पक किया जा सकता है।
10. वन विभाग द्वारा दी गयी अनुमति के क्रम में वृक्षो का विवरण सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	स्थल/मार्ग	वृक्षो की संख्या
1	आई.आई.एम.टी. कालेज के पीछे 18 मी. चौडाई में बाधक वृक्ष	23
2	परीक्षितगढ रोड से गंगानगर तक 45 मी0 मार्ग चौडीकरण में बाधक वृक्ष	28
3	जोनल रोड 18 मी0 चौडी रोड से 36 मी0 चौडी सडक तक में बाधक वृक्ष	46
4	ओ.पी.ओ.ब्लाक गंगानगर से नाले तक डेरी फार्म के पास बाधक वृक्ष	134
5	ओ ब्लाक गंगानगर से परीक्षितगढ मार्ग अब्दुल्लापुर 18 मी0 चौडी मार्ग में बाधक वृक्ष	161
	कुल वृक्षो की सं0	**392**

05/10/18

अधीक्षण अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण

UDHAN.46